

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कटूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/194/2020

तारीख रजू.....

रामदास

बनाम

आशा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>30.09.2020</p> <p>24<sup>11</sup> 20</p> <p>25<sup>1</sup> 20</p>	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की वे अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतःअप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0, 438, 183, 512, वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 24.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p>18</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अधिकारी कटूमर (अलवर)</p> <p>मुद्राव करीकेन उपर/P.O. वाहव M.P. 25/9/20 प्रापकी दिनांक 25/9/20 मे पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी उपस्थित नही 19/9/20 वकील प्रार्थी को वाद-2 का वाज दिनांक जुई कोर्ट इफाईल नही आला 15/9/20 पत्र माभारतनी काफ फेरी-34/2017 को उपस्थित किया जाता है। पत्रावली में मुद्रा घेरा मूल वाद के माप खलोकन रह। मुद्राव 18/9/20</p>	